

जनपद-सोनभद्र में हिण्डालको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड (रेणुसागर पावर डिवीजन), रेणुसागर को 132 के0वी0 विद्युत पारेषण लाईन हेतु हस्तांतरित 38.2591 हेक्टेयर आरक्षित वन भूमि के लीज समाप्ति की तिथि दिनांक- 08.02.2016 से आगामी 25 वर्षों (दिनांक- 09.02.2016 से 08.02.2041 तक) के लिये नवीनीकरण प्रस्ताव प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब के कारण भारत सरकार की गाइडलाइन दिनांक- 29.01.2018 के अनुसार उल्लंघन के फलस्वरूप प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा जमा करायी जाने वाली निर्धारित दण्डात्मक एन0पी0वी0 की गणना ।

क्र0 सं0	प्रकरण का विवरण	प्रस्ताव में प्रभावित वन भूमि	इको क्लास एवं वानस्पतिक धनत्व के अनुसार एन0पी0 वी0की निर्धारित धनराशि प्रति हे0 रू0 लाख में	एन0पी0वी0की निर्धारित कुल धनराशि रू0 में	एन0पी0वी0 की निर्धारित धनराशि का पॉचगुणा धनराशि	एन0पी0वी0की निर्धारित कुल धनराशि पर 12 % साधारण ब्याज की दर से अब तक का साधारण ब्याज	कुल जमा की जाने वाली धनराशि
1	रेणुसागर पावर प्लांट से हिण्डालको प्लांट रेनुकूट तक पूर्ण से निर्मित 132 के0 वी0 विद्युत पारेषण लाईन	38.2591 हे0	8.87 लाख प्रति हे0	33935821.70 या 3,39,35,822	16,96,79,110	$\frac{16,96,79,110 \times 12 \times 5}{100} = 10,18,07,466$	16,96,79,110 + 10,18,07,466 = 27,14,86,576

(रू0 सत्ताईस करोड चौदह लाख छियासी हजार पाँच सौ छिहत्तर मात्र)


(एन0पी0सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी,
रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट